# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | **हरनारायण बनाम बद्री प्रसाद**<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 11/02/2026 | कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर करे अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी गयी अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस में मुख्य रूप से यही निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त प्रतिवादीगण की तामील करवाये बगैर ही मनमाने रूप से विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों के विपरित जाकर अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर दिये गये, जो गलत है। विधिक प्रक्रियाओ के विपरित पारित की गयी अपीलाधीन डिक्री के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जे को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक सहखातेदार को रास्ते की उपलब्धता के बिन्दु के सन्दर्भ में कोई आदेश प्रदान नही किया गया है, जिससे पक्षकारान के मध्य विवाद समाप्त नही हो सकता। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलार्थी को होते ही जानकारी से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अत: अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाकर अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय की क्रियान्विति को स्थगित रखे जाने के आदेश प्रदान किया जावे।<br><br>अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व् डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय के माध्यम से उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर कुर्रेजात तैयार किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है, जबकि अपीलार्थी द्वारा दौराने बहस उभयपक्षों की उपस्थिति में कब्जे एवं रास्ते की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करवाये जाने की ईस्तदुआ की गयी है, जिसे स्वीकार किया जाना प्रकरण की इस स्टेज पर उचित प्रतीत होता है क्युकी कब्जे को ध्यान में रखते हुये रास्ते की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने से विभाजन उपरान्त पक्षकारान के मध्य विवाद रहने की सम्भावना क्षीण होना सम्भव है। अत: प्रकरण की इस स्टेज पर ही अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व् डिक्री को संशोधित किया जाना उचित समझा जाता है।<br><br>अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायहित में अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद शुमार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 10/09/2025 में उभयपक्षों की उपस्थिति में कब्जे को ध्यान में रखते हुये एवं रास्ते की उपलब्धता को सुनिश्चित करते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के आदेश को समायोजित करते हुये अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व् डिक्री दिनांक 10/09/2025 को संशोधित किया जाता है। तदनुसार | |

174/2026

223

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | **हरनारायण बनाम बदरी प्रसाद**<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्बन्धित तहसीलदार को संशोधित तहरीर जारी करे। उक्त आदेशो के साथ अपील अपीलार्थी निस्तारित की जाती है।<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br>निर्णय आज दिनांक 11/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। | |